न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 87 सन् 2007

जानार्दन साह वो0 ––––––––वादी

बनाम

राम अयोध्या सिंह वो0.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–18.08.2021

उभयपक्ष की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–22..07.2017 पर प्रत्युतर दिनांक–05.08.2017 सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादीगण ने अपने आवेदन में सार रूप से कहा है कि उपरोक्त वाद मे मुदालह सं0–1 मु0 रजिया कुवर जौजे स्व0 राम अयोध्या सिंह दिनांक–25.12.2016 को अपने वारिस मुदालह नं0–01 (क) ता 1 (ग) को छोड़कर मर गयी है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वाद से मुदालह नं0–1 मु0 रजिया कुवर जौजे स्व0 राम अयोध्या सिंह का नाम कलमजद करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी ने अपने प्रत्युतर मे सार रूप से कहा है कि मुदईयान द्वारा दिया गया आवेदन तथ्य एवं कानूनन दोनो दृष्टिकोण से पोषणीय नही है बल्कि अस्वीकृत होने योग्य है। मुदईयान द्वारा दिया गया आवेदन गलत तथ्यों पर आधारित है। राजकुमारी देवी पति स्व0 राम अयोघ्या सिंह की मृत्यु बहुत दिन पहले दिनांक–23.03.2016 को हो चुका है और मुदईयान द्वारा गलत तिथि एवं नाम अंकित कर आवेदन दिया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि मुदईयान का आवेदन न्यायाहीत मे स्वीकृत होने योग्य नही है। अतः मुदई का आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेंख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का वादी का आवेदन इस आवेदन के साथ

शपथ पत्र से समर्थित नही था परन्तु दिनांक–17.11.2018 को शपथ पत्र दाखिल किया गया। परन्तु उसमे मुदालह सं0–1 का नाम राजकुमारी कुंवर नही बल्कि राजकुमारी देवी का नाम दर्ज है। बहस के क्रम मे प्रतिवादी के विद्वान अधिवकता के द्वारा मौखिक रूप से विरोध किया गया कि प्रतिवादी सं0–1 मु0 रजिया कुंवर राम अयोध्या सिंह की पत्नी नही है। इसके संबंध मे वादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मु0 रजिया कुंवर राम अयोध्या सिंह की पत्नी है। इसके संबंध मे वादी की ओर से दिनांक–26. 09.2018 को वकालतनामा एवं जमानत प्रपत्र दाखिल किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राम अयोध्या सिंह की पत्नी का नाम रजिया देवी उर्फ राजकुमारी देवी का नाम दर्ज है। वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा एक एफिडेविट भी दाखिल किया गया कि राम अयोध्या सिंह के पत्नी का नाम मु0 रजिया कुवर है। वादी की ओर से वोटर आर्ड डी0 कार्ड भी प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राम अयोध्या सिंह के पत्नी का नाम राजकुमारी देवी है। वादी के द्वारा दाखिल किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी राजकुमारी देवी का नाम दर्ज है न कि रजिया कुंवर का नाम दर्ज है। इस प्रकार वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजो से यह स्पष्ट होता है कि रामअयोध्या सिंह के पत्नी का नाम राजकुमारी देवी है। किसी भी दस्तावेज मे रजिया कुंवर का नाम दर्ज नही है। मुदई के द्वारा मुदालह सं0–1 म़0 रजिया कुंवर का नाम कलमजद करने हेतु आवेदन दिया गया है। वादी के द्वारा मु0 रजिया कुंवर के संबंध मे कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया है। अतः वादी का आवेदन दिनांक–22.07.2017 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 01.09.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।